

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण


शंकर

बनाम

रामधन वगैरह

किस्म प्रकरण : प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 151 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
09.01.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 16.01.2024 से तलबी हेतु न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। वकील वादी ने प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी हेतु अवसर ओर चाहा है। पूर्व में वकील प्रार्थी को अनेक अवसर दिये गये थे साथ ही वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी को गत तारीख पेशी दिनांक : 29.12.2025 को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये एक अन्तिम अवसर ओर प्रकरण में सीपीसी प्रावधानुसार आदेश 09 नियम 05 के तहत खारिज किये जाने की हिदायत के साथ तलबी हेतु दिया गया था, तत्पश्चात वकुलाय के कन्डोलेन्स एवं पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त रहने के चलते भी तलबी हेतु अवसर स्वतः प्राप्त हुये परन्तु वकील प्रार्थी ने साबिका आदेश दिनांक 29.12.2025 की पालना में तलबी सम्मन पेश नहीं किये।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 एक्ट 1955 बावजूद हिदायत न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश-9 नियम-5 के तहत अदम तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">  (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन), उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन) </p>	